"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 869] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 नवम्बर 2025 — कार्तिक 23, शक 1947

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR/11172/2025.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायत को सम्मिलित कर नगर पंचायत तपकरा, जिला–जशपुर गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है:–

अनुसूची –1

नगर पंचायत तपकरा में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या वर्ष 2011
1	तपकरा	4624

अनुसूची –2

नगर पंचायत तपकरा की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

ग्राम पंचायत तपकरा की सीमाएं ही नगर पंचायत तपकरा की सीमाएं होंगी।

उपरोक्त आशय के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर–जशपुर को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप–सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 नवम्बर 2025

क्रमांक GENCOR/11172/2025.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14–11–2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 14th November 2025

NOTIFICATION

No. GENCOR/11172/2025.— In exercise of the powers conferred by section 5(1)(b) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to constitute Nagar Panchayat Tapkara in District-Jashpur as per Schedule given below :-

SCHEDULE-1

The particulars of areas to be included in limits of Nagar Panchayat Tapkara is as under :-

S.No.	Name of Gram panchayat	population year 2011
1	Tapkara	4624

SCHEDULE-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Tamnar is as under :-

The Boundaries of the Nagar Panchayat Tapkara shall be the boundaries of existing Gram Panchayat Tapkara.

Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District- Jashpur on any official day and time within 21 days from the date of Publication in "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.